

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2015—आश्विन 23, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-43-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई, इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-35-2007-चौदह-3, दिनांक 25 अगस्त 2015 के द्वारा राज्य सरकार ने छतरपुर जिले की नौगांव तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये नौगांव में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

अतएव, कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में छतरपुर जिले की तहसील नौगांव के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये नौगांव में मंडी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-43-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 15th October 2015

No. D-15-43-2015-XIV-3.—WHEREAS, vide this department Notification No. D-15-35-2007-XIV-3, dated 25th August 2015 Issued Under the provision of sub-section (1) of Section 3 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a market at

Navgaon for regulating the purchase and sale of Agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of the Tehsil Navgaon in Chhatarpur District.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a Market at Navgaon regulating the purchase and sale of the agricultural produce in the act. including all revenue and forest villages of the Tehsil Navgaon in Chhatarpur district.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-43-2015-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 नवम्बर 1956 द्वारा जिला छतरपुर की हरपालपुर एवं नौगांव तहसील के मंडी क्षेत्र हरपालपुर में (जो इसमें इसके पश्चात उक्त मंडी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी उक्त मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-35-2015-चौदह-3, दिनांक 25 अगस्त 2015 द्वारा छतरपुर जिले की नौगांव तहसील के नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित 90 ग्राम जो जिला छतरपुर की तहसील हरपालपुर में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), को विपाटित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 के उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से "उक्त मंडी क्षेत्र" को छतरपुर जिले की नौगांव मंडी के "उक्त क्षेत्र" से विपाटित करती है.

अनुसूची

1. गरीली, 2. चौबारा, 3. मड़रखा, 4. भदेसर, 5. दोनी, 6. महतौल, 7. नेगुआ, 8. बिलहरी, 9. तिदनी, 10. मऊ, 11. सहनियां,
12. नयागांव, 13. सिंगरावनकला, 14. सिंगरावनखुर्द, 15. मानपुरा, 16. खुर्दा, 17. लुगासी, 18. झीझन, 19. बरट,
20. सरदारपुर, 21. नौगांव, 22. गुरसारी, 23. सिंदुरखी, 24. नुना, 25. पड़वाहा, 26. गौर, 27. कुराहा, 28. उजरा,
29. गढ़ी, 30. मलेहरा, 31. वेदार, 32. उर्दमउ, 33. मलका, 34. खिरी, 35. मटोधबेसन, 36. मटोधाचोपन,
37. खिरवा, 38. गौरारी, 39. महाराजपुर, 40. दिलनियां, 41. मऊ, 42. सैला, 43. पुर, 44. मनकारी, 45. बिकौरा,
46. बुड़रख, 47. गुदारा, 48. ढिगपुरा, 49. बरौही, 50. टटम, 51. मुखर्दा, 52. सिंहपुर, 53. पचवारा, 54. कुदौल,
55. मचा, 56. पाली, 57. मड़ियनहार, 58. पिपरी, 59. धरमपुरा, 60. ठेठवरा, 61. सिमरधा, 62. वीरपुरा,
63. शिकारपुरा, 64. सिजरिया, 65. मुड़वारा, 66. कुलवारा, 67. पन्नपुरा, 68. सड़ेरी, 69. खखरीवीरपुरा, 70. चौखड़ा,
71. लहर, 72. नीमखेड़ा, 73. धीरजपुरा, 74. हीरापुर, 75. इमिलिया, 76. इमलाही, 77. मुहारी, 78. भिरोटा, 79. गौरारी,
80. सुड़ाहार, 81. कुसमा, 82. झिकमऊ, 83. नटुआ, 84. खिरवा, 85. पुतरी, 86. नाथपुर, 87. सियाला, 88. फुलारी,
89. बरद्दाहाकला, 90. मदारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-43-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 15th October 2015

No. D-15-43-2015-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification even dated 29th November 1956 issued under the provisions of sub-section (1) of Section (4) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of District Chhatarpur in Tehsil Harpalpur and Navgaon (here in after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS this department Notification No. D-15-35-2007-XIV-3, dated 25th August 2015 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signifies it's intention to the said Market area splitup there from the area comprising of following 90 villages situated Navgaon Tehsil of Chhatarpur District (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, (No. 24 of 1973), the State Government here by establish a market at Navgaon by splitting up the "said market area" from the "said area."

LIST

1. Garroli, 2. Choubara, 3. Madarkha, 4. Bhadesar, 5. Doni, 6. Mehtool, 7. Negua, 8. Bilahari, 9. Tidni, 10. Maou, 11. Sahniya, 12. Nayagaon, 13. Singravankala, 14. Singravankhurd, 15. Manpura, 16. Khurda, 17. Lugasi, 18. Jheejhan, 19. Barat, 20. Sardarpur, 21. Navgaon, 22. Gursari, 23. Sindurkhi, 24. Nuna, 25. Padwaha, 26. Gour, 27. Kurraha, 28. Ujra, 29. Gadhi, 30. Malehra, 31. Vedar, 32. Urdmou, 33. Malka, 34. Khiri, 35. MatodhBesar, 36. Mattodhachouban, 37. Khirva, 38. Gourari, 39. Mahrajpur, 40. Dilaniya, 41. Mou, 42. Saila, 43. Pur, 44. Mankari, 45. Bikaura, 46. Brdrakh, 47. Gudara, 48. Dhigpura, 49. Barauhi, 50. Tatam, 51. Mukharra, 52. Shinghpur, 53. Pachawara, 54. Kudoul, 55. Macha, 56. Paali, 57. Madiyanhar, 58. Pipri, 59. Dharampura, 60. Tathavra, 61. Simardha, 62. Veerpura, 63. Sikarpura, 64. Sijariyapura, 65. Mudawara, 66. Kurwara, 67. Pannpura, 68. Saderi, 69. Khakhriveerpura, 70. Choukhada, 71. Laher, 72. Neemkheda, 73. Dhirajpura, 74. Heerapur, 75. Imiliya, 76. Imlahi, 77. Muhari, 78. Bhirota, 79. Gourari, 80. Shudahar, 81. Kusma, 82. Jjikmou, 83. Natua, 84. Khirva, 85. Putri, 86. Nathpur, 87. Siyala, 88. Phulari, 89. Bardwahakala, 90. Madari.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-43-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2015 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, नौगांव के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगर पालिका पृथ्वीपुर, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 12.146 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	2374	12.146
		योग . . 12.146

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—जेल कारागार.

दक्षिण में—नवोदय विद्यालय.

पूर्व में—शासकीय भूमि.

पश्चिम में—मलेट्री कम्पाउण्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-43-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 15th October 2015

No. D-15-43-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Navgaon has been established by this department's Notification even dated 15th October 2015 shall be market yard namely:—

PLACE

An area of 12.146 Hectore's land of below mentioned Khasra number at Navgaon Municipal Corporation in Tehsil Navgaon of District Chhatarpur.

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hector) (3)
1	2374	12.146
Total . .		12.146

BOUNDED BY

On the North by—Jail Karagar.

On the South by—Novoday School.

On the East by—Govt. Land.

On the West by—Maletri Compound.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-43-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण नौगांव जिला छतरपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) नगरपालिका नौगांव तहसील नौगांव जिला छतरपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

- (1) पिपरी, (2) चौबारा, (3) कुलवारा, (4) नैगुवां, (5) मुड़वारा, (6) बिलहरी, (7) नयागाँव, (8) वीरपुरा, (9) ठठेवरा, (10) धरमपुरा, (11) सिमरधा, (12) सिकारपुरा, (13) तिंदनी, (14) सिकरावनकला, (15) सिंगरावनखुर्द, (16) चंदौरी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. डी-15-43-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 15th October 2015

No. D-15-43-2015-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number, dated 15th October 2015 the following area of Navgaon of district Chhatarpur shall be market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Munispal Corporation Navgon in Tehsil Noavgon of Distirct Chhatarpur.
- (2) An area comprising of the following villages within the radious of 5 Kilometers from the market yard namely:—
- (1) Pipri, (2) Choubara, (3) Kulwara, (4) Naiguva, (5) Mudwara, (6) Bilhri, (7) Nayagon, (8) Veerpura, (9) Thathevra, (10) Dharpura, (11) Simardha, (12) Sikarpura, (13) Tindani, (14) Sikravankala, (15) Sikravankhurd, (16) Chandouri.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.